

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड



सूचना

यह संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटिरयों पर विरोध—प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी / गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हुए हैं। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती हैं जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे / सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जॉच कराई जाएगी और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ—साथ ही उन्हे रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

सभी आरआरबी सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह न हों या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आएं जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड

दिनांकः 25.01.2022



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS RAILWAY RECRUITMENT BOARDS



NOTICE

It has come to notice that aspirants of Railway job have indulged in vandalism/ unlawful activities like protesting on Railway Tracks, disruption of Train Operations, damaging Railway Properties etc. Such misguided activities are highest level of indiscipline rendering such aspirants unsuitable for Railway/Government job. Videos of such activities will be examined with the help of specialized agencies and candidates/aspirants found indulged in unlawful activities will be liable for police action as well as lifetime debarment from obtaining Railway job.

RRBs are committed to conduct fair and transparent recruitment process maintaining highest standards of integrity. Railway job aspirants/candidates are advised not to be misguided or come under the influence of such elements who are trying to use them for fulfilling their own selfish ends.

Chairpersons
Railway Recruitment Boards

Date: 25.01.2022